

30/01/2020

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलकर्ता
 अधिवक्ता अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि मूल
 मील पत्रावली वकालत में विचारणीय भी लेकिन
 अपीलकर्ता वकील जिला मुख्यालय में दूर
 गुंडापालानी गये हुए थे इसलिए उक्त
 में पेशी नहीं कर पाये। अतः अपीलकर्ता
 का आवेदन स्वीकार करमाया जाते। अधिवक्ता
 अपीलकर्ता को सुना गया। न्यायिक में
 अपीलकर्ता का आवेदन स्वीकार किया जाकर
 आदेश दिये जाते हैं कि मूल मील पत्रावली
 को पुनः पुराने नम्बर पर दर्ज किया
 जाते। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर में
 कम होकर बाद तकनीक दायित्व दफतर
 दाल आदेश से इजलास सुनाया गया।



दिनांक
 30/01/20
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाडमेर